4-10-2024.

प्रत्यावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित नहीं। वकील प्रार्थी व प्रार्थी स्वयं को बार-बार आवाज लगाने फिर भी हाजिर नहीं। प्रार्थना पत्र अदम हाजरी व अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। प्रत्यावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरमीम वकील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kuma
Date: 2024.10.15 11:57:16 IST
Reason: SelfAttested